


फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण कुनकी बनाम अप्रार्थीगण चनणी वगैरहा  
केस प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 91 / 2016

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
15.09.2016	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री दशरथ सिंह राठौड ने पेश किया गया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया। जिससे मामला प्रथम दृष्टया, प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है आगामी आदेश तक मौजा खाटूकंला के खसरा नं. 1041, 2427/2067 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे खातेदारी खेत मे किसी प्रकार का सड़क निर्माण नहीं करे। इस आदेश को कटाणी रास्ते पर सड़क निर्माण करने में बाधा नहीं समझा जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 05.10.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर</b>                      एस. डी. एम. जायल (नागौर)                 </p> <p style="text-align: center;">                     कुलपति वरु. पूर्ण आदेश की पालना हो                      दिनांक - 13-1-17 को पेश हो।                 </p>	
13-1-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठारीन अधिवक्ता की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 19-4-17 को प्रस्तुत करें।</p>	
19-4-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठारीन अधिवक्ता की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 7-7-17 को प्रस्तुत करें।</p>	
17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठारीन अधिवक्ता की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31-1-18 को प्रस्तुत करें।</p>	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>31-1-18</p> <p>पीठारीन अधिवक्ता की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8-3-18 को प्रस्तुत करें।</p>

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज</p>	<p>नम्बर अहका हुक्म में ज</p>
<p>30.5.18</p>	<p>पञ्जाबली न्याय अफ के हाट त्रिवेद में अल्ल लेवा केन्द्र श्वाङ्कला में वैशङ्करी वकील प्राप्ति के कोट प्रेस कट निवेदन कि प्राप्ति प्राप्ति के को भागे चलाना नही चाहते हैं इसलिए जद्वे विद्गोल प्राप्ति के को अक्षीक कि प्रा जाता है पञ्जाबली नम्बर के कर्म होकर केवल शुभाट के कट इफ्तार पारिवल हो</p>	<p>25</p>